प्रेस नोट दिनांक 20.08.2026

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ से जारी आदेशिका के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना मान्धाता पुलिस टीम द्वारा ग्राम सुमेरपुर से केस नं0 23780/2023, धारा 323/452/427 भादवि, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त—
1. बृजेश सिंह उर्फ दीपू सिंह पुत्र छोटेलाल, उम्र करीब 39 वर्ष
2. राम सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासीगण ग्राम सुमेरपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार दोनों वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेशिका के अनुपालन में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम
उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह हे0का0 विसर्जन राम एवं रि0का0 अजय यादव, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह का० प्रवीण कुमार व का विवेक कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेसन जज कक्ष संख्या 05 जनपद कौशाम्बी द्वारा जारी वाद सं0 24/2017 अ0सं0 125/2016 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धि वारण्टी 01 अभियुक्त मनोज कुमार सिंह सोमवंशी उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 रामराज सिंह सोमवंशी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भदोही थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मनोज कुमार सिंह सोमवंशी उर्फ मुन्ना पुत्र स्व0 रामराज सिंह सोमवंशी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भदोही थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह का० प्रवीण कुमार व का विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट, अपहरण के मुकदमे में वांछित अभियुक्त कुनाल कुरील को क्षेत्रान्तर्गत शिवाला मन्दिर झींगुर के पास से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री संदीप तिवारी के नेतृत्व में थाना महेशगंज के व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा मय हमराह, उ0नि0 अजय कुमार,रि0का0 श्रेय यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 65 (1)/87/137 (2)/351 (3)बीएनएस व 3/4 (2)पॉक्सो एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त कुनाल कुरील पुत्र सुरेश कुमार निवासी लरु थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत शिवाला मन्दिर झींगुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. कुनाल कुरील पुत्र सुरेश कुमार निवासी लरु थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 नीरज सिंह कुशवाहा मय हमराह, उ0नि0 अजय कुमार,रि0का0 श्रेय यादव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पशु चोरी की घटनाओं से संबंधित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 अदद जिन्दा देशी बम, 1580 रुपये नगद एवं चोरी में प्रयुक्त TATA ACE वाहन बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस व स्पेशल टीम द्वारा पशु चोरी की घटनाओं से संबंधित 03 अभियुक्तों, आजाद खाँ, शफीक, हफीज को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शफीक के विरुद्ध लगभग 12 तथा आजाद खाँ व हफीज के विरुद्ध 03-03 अभियोग पंजीकृत; गोवध निवारण, पशु क्रूरता निवारण, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं आयुध अधिनियम सहित गंभीर अपराधों का आपराधिक इतिहास

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी ग्राम संडवा सुजाखर (गौहानी), थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। दिनांक 01.08.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के बाहर बंधी भैंस चोरी कर ली गई। वादी द्वारा रात्रि में देखा गया तो भैंस अपने स्थान से गायब थी। आस-पास खोजबीन करने पर खेतों की ओर भैंस के ताजा पैरों के निशान तथा वाहन के पहियों के निशान प्राप्त हुए, जिससे प्रतीत हुआ कि चोर भैंस को खेतों के रास्ते कुछ दूरी तक ले जाकर वाहन में लादकर ले गये। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 आदित्य पाण्डेय, हे0का0 नवरत्न सिंह, का0 अमित कुमार यादव एवं का0 प्रदीप कुशवाहा व प्रभारी स्पेशल टीम उ0नि0 विजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 माधवेश राय, का0 मुकेश पटेल, का0 आनन्द यादव, का0 पियूष यादव द्वारा रात्रि गश्त, क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. आजाद खाँ पुत्र शफीक, उम्र करीब 23 वर्ष, 2. शफीक पुत्र नजर मोहम्मद, उम्र करीब 60 वर्ष एवं 3. हफीज पुत्र शहाबुद्दीन, उम्र करीब 26 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम रामपुर कुर्मियान, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत शाहबरी के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम, पशु बिक्री के 1580/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद TATA ACE (वाहन संख्या UP72BT5866) के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सांगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस में बरामदगी के आधार पर धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे लोग रात्रि में खुले में बंधे पशुओं को चोरी कर पशु मंडी में कम कीमत पर बेच देते हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 01.08.2026 को ग्राम संडवा

सुजाखर गौहानी से 01 भैंस तथा दिनांक 21.07.2026 को ग्राम गोकुला कोठा नेवढ़िया से 02 भैंस चोरी कर अमेठी स्थित पशु मेले में बेचने की बात बताई गई है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी की घटनाओं के दौरान पकड़े जाने की स्थिति में बचाव के लिए उक्त देशी बम अपने पास रखते थे। पूछताछ में वाहन चालक मो0 अकील पुत्र अब्दुल हकीम निवासी ग्राम ताला बाजार, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. आजाद खाँ पुत्र शफीक, उम्र करीब 23 वर्ष,
2. शफीक पुत्र नजर मोहम्मद, उम्र करीब 60 वर्ष,
3. हफीज पुत्र शहाबुद्दीन, उम्र करीब 26 वर्ष, समस्त निवासीगण ग्राम रामपुर कुर्मियान, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1- अपराधिक इतिहास शफीक पुत्र नजर मोहम्मद निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-356/2009, धारा-3/5ए/8/11 गौहत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम, थाना-कन्धई, जनपद-प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-282/2010, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना-कन्धई, जनपद-प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-355/2009, धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना-कन्धई, जनपद-प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-42/2021, धारा-3/5ए/8/11 गौहत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम, थाना-अन्तू, जनपद-प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0-338/2024, धारा-3/5ए/8/11 गौहत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम, थाना-बाघराय, जनपद-प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-174/2025, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-बाघराय, जनपद-प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0-351/2016, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-कन्धई, जनपद-प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0-124/2021, धारा-323/504/506 भादवि, थाना-कन्धई, जनपद-प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0-87/2023, धारा-3/5ए/8/11 गौहत्या निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम, थाना-सांगीपुर, जनपद-प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0-330/2023, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना-सांगीपुर, जनपद-प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0-193/2024, धारा-3/25 आयुध अधिनियम, थाना-लीलापुर, जनपद-प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

2- अभियुक्त मोहम्मद आजाद पुत्र शफीक निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2021 धारा 323/504/506 भादवी थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ ।
2. मु0अ0सं0 117/2026 धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ ।

3. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

3- अभियुक्त हफीज पुत्र शहाबुद्दीन निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 199/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 10/2025 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
3. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

अभियुक्तों के कब्जे से 05 अदद जिन्दा देशी बम, पशु बिक्री के 1580/- रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद TATA ACE (वाहन संख्या UP72BT5866) बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना सांगीपुर-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 आदित्य पाण्डेय, हे0का0 नवरत्न सिंह, का0 अमित कुमार यादव एवं का0 प्रदीप कुशवाहा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

स्पेशल टीम-

प्रभारी स्पेशल टीम उ0नि0 विजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 भानु प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 माधवेश राय, का0 मुकेश पटेल, का0 आनन्द यादव, का0 पियूष यादव।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हस्बुल तलब हमराह रि0का0 रणधीर गोंड के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा० न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जनपद प्रतापगढ द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट सम्बन्धित मु0नं0 3041/22 अन्तर्गत धारा 411/413 भादवि से सम्बन्धि वारण्टी 01 अभियुक्त सन्तोष पुत्र नन्हेलाल सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कटरा बूबूपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सन्तोष पुत्र नन्हेलाल सरोज उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम कटरा बूबूपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हस्बुल तलब हमराह रि0का0 रणधीर गोंड थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद बुलेट क्लासिक 350 मोटरसाइकिल बरामद की गई-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 अमित कुमार सिन्हा मय हमराह का0 विनय पटेल, रि0आ0 धीरज तिवारी व रि0आ0 आकाश सिंह द्वारा श्रावण मास के दृष्टिगत कांवड़ियों के आवागमन मार्ग पर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद बुलेट क्लासिक 350 मोटरसाइकिल बरामद की गई।

प्रतापगढ़।
थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा दिनांक 20.08.2026 को श्रावण मास के दृष्टिगत कांवड़ियों के आवागमन मार्ग पर चेकिंग एवं अपराधियों की धरपकड़ के दौरान शनिदेव धाम गेट के सामने बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पृथ्वीगंज-कुशफरा मार्ग की ओर से काले रंग की बुलेट क्लासिक 350 पर सवार 02 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा चालक इस्तेखार उर्फ सेबू पुत्र मुस्ताक अली निवासी ग्राम सरायखाजा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अनस पुत्र सगीर अहमद जंगल की ओर फरार हो गया।

अभियुक्त के पास मोटरसाइकिल के कोई कागजात नहीं मिले। ई-चालान ऐप से चेसिस नम्बर चेक करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP70EP2574 एवं वाहन स्वामी शहंशाह पुत्र मो0 शकील निवासी राजापुर, प्रयागराज प्रकाश में आए। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथी अनस के साथ मिलकर उक्त मोटरसाइकिल को राजापुर, प्रयागराज से चोरी करना तथा पहचान छिपाने के लिए नम्बर प्लेट निकालकर फेंकना बताया। जांच में उक्त मोटरसाइकिल थाना कैण्ट, प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0

220/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल होना पाया गया। वाहन स्वामी द्वारा भी मोटरसाइकिल की पहचान कर पुष्टि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
इस्तेखार उर्फ सेबू पुत्र मुस्ताक अली, निवासी ग्राम सरायखाजा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 38 वर्ष।

फरार अभियुक्त का विवरण-
अनस पुत्र सगीर अहमद, निवासी ग्राम कस्बा मऊआइमा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।

बरामदगी-
चोरी की 01 अदद बुलेट क्लासिक 350 मोटरसाइकिल, काले रंग की, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP70EP2574।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिन्हा मय हमराह का0 विनय पटेल, रि0आ0 धीरज तिवारी व रि0आ0 आकाश सिंह, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सदर अस्पताल में चोरी के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सदर अस्पताल में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद किए गए-

प्रतापगढ़।
थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सदर अस्पताल में दिनांक 17.08.2026 को हुई चोरी की घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 499/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 20.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चौकी सदर अस्पताल क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर ग्रीन वार्ड के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नसीर के कब्जे से चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद हुए।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में म0उ0नि0 अर्चना मय हमराह हे0का0 विवेक कुमार अवस्थी व का0 निकित गौड़ द्वारा चौकी सदर अस्पताल क्षेत्र में देखभाल क्षेत्र एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मु0अ0सं0 499/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों 1. नासिर पुत्र जहीर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष, 2. रामबाबू पुत्र रामचन्द्र निवासी सदर बाजार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष, 3. राजू पुत्र बिल्ला निवासी सहोदरपुर पूर्वी थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को सदर अस्पताल के ग्रीन वार्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नासिर के कब्जे से चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े बरामद किए गए।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.08.2026 को उन लोगों द्वारा सदर अस्पताल प्रतापगढ़ से ऑक्सीजन पाइप एवं अन्य सामान चोरी किया गया था। सुरक्षा गार्ड के आ जाने पर वे लोग मौके से भाग गए थे तथा चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़ों को ग्रीन वार्ड के पास छिपा दिया था। आज वे लोग उक्त पाइप को लेने के लिए आए थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. नासिर पुत्र जहीर, निवासी विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. रामबाबू पुत्र रामचन्द्र, निवासी सदर बाजार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।
3. राजू पुत्र बिल्ला, निवासी सहोदरपुर पूर्वी, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी किए गए ऑक्सीजन पाइप के टुकड़े।

पुलिस टीम का विवरण-

म0उ0नि0 अर्चना मय हमराह हे0का0 विवेक कुमार अवस्थी व का0 निकित गौड़, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।